

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :- वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 496/2026
भदौर थाना कांड संख्या 67/2026

1. बसंत मोची, पिता चुलाहय मोची, उम्र करीब 78 वर्ष,
2. राजकुमार मोची, पिता बसंत मोची, उम्र करीब 43 वर्ष,
3. सरिता देवी, पति राजकुमार मोची, उम्र करीब 41 वर्ष,
4. निलम देवी, पति संजीत मोची, उम्र करीब 38 वर्ष,

सभी साकिन-लालपुरा, थाना-भदौर, जिला-पटना.....आवेदक अभियुक्तगण
बनाम्

बिहार सरकार विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :- श्री प्रिय रंजन

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :- मो० एस० आर० रहमान

आदेश

06.06.2026

आवेदक अभियुक्त 1. बसंत मोची, 2. राजकुमार मोची, 3. सरिता देवी एवं 4. निलम देवी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद भदौर थाना कांड संख्या 67/2026, अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 109, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 109 भारतीय न्याय संहिता का आरोप नहीं बनता है तथा अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं। इस वाद का प्रतिलोम वाद भदौर थाना कांड संख्या 68/2026 दर्ज किया गया है। इस वाद में उभय पक्ष के बीच समझौता हो गया है और समझौता से सम्बंधित अनुमति पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल किया है। दोनों ही मामलों में कोई सार्वजनिक निति शामिल नहीं है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप ओमनीबस है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक हरिकांत रविदास हैं। इन्होंने दिनांक 06.05.2026 को समय करीब 7 बजे शाम में इनके पड़ोसी अभियुक्तगण मिलकर अपने-अपने हाथ में लिये लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से मारने लगे, तब इनकी पत्नी बचाने आयी तो इन्हें भी लाठी से कपाल फोड़ दिया तथा संजीत मोची इनके पुत्र मिथुन कुमार को भी लाठी से

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :- वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 496/2026
भदौर थाना कांड संख्या 67/2026

लगातार

06.06.2026

कपाल फोड़ दिया तथा अन्य लोग भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिससे सभी जख्मी हो गए।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से सूचक, उनकी पत्नी एवं पुत्र मिथुन कुमार को मारने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा-3 में वादी का बयान एवं पारा-4 में साक्षी चंदन रविदास का बयान है, इन्होंने मारपीटकर जख्मी कर दिये जाने की बात कहा है। पारा-54, 55, 56 एवं 57 में आवेदक अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बंध में कहा गया है कि इस केस के अतिरिक्त अन्य कोई कांड दर्ज नहीं है। इस वाद में कुल-4 जख्मियों के जख्म का वर्णन है। सभी जख्मियों के मंतव्य सुरक्षित रखा गया है। पूरक जख्म प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस वाद का प्रतिलोम वाद भदौर थाना कांड सं0 [68/26](#) है, जो उसी दिन की घटना को लेकर अभियुक्तों की ओर से दायर किया गया है। सूचक हरिकांत रविदास की ओर से सुलहनामा अनुमति पत्र एवं उभय पक्षों की ओर से संयुक्त सुलहनामा संधिपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख के साथ रखा गया है। जख्मी लोग न्यायालय में उपस्थित हैं और पूछे जाने पर स्वीकार करते हैं कि आपस में सुलह हो गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण 1. बसंत मोची, 2. राजकुमार मोची, 3. सरिता देवी एवं 4. निलम देवी को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ। परिणामतः आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तारी होने की दशा में प्रत्येक के द्वारा मो0 10,000 रुपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़